

2021/2019
21.1.19

जवली पेस हई ए.ओ.ए. 19/अ.न
बासा एते के बासा जवली
ना सकी । पजवली निनाक
4.3.19 को पेस होय

43/22 पनावली पेस हई यहाँ उपस्थित
अपनी गण को बासा 177 के नोकेसि बासी
होम पनावली निनाक 11.4.20 को पेस हो
रि०

22/22 पनावली पेस हई यहाँ उपस्थित
अपनी को नोकेसि बासी होम पनावली
निनाक 3-6-21 को पेस हो
(3.6.21) रि०

36-22 पनावली पेस हई यहाँ पेसमास सकार उपस्थित
अपनी गण को उपस्थित अपनी गण को बासा
बासा 79 पेस होम बासा निनाक हई।
अपनी गण को यहाँ उपस्थित 79 को बासा पेस
कर निनाक बासा निनाक निनाक निनाक
550, 551, 555, $\frac{556}{2125}$, $\frac{556}{\dots}$, $\frac{557}{\dots}$, $\frac{557}{\dots}$

ल.प. बाभुराम

गोखराम 10560, 2141, 567, निनाक निनाक निनाक निनाक
शेरायत पर अपनी गण को बासा निनाक निनाक
हई। अपनी गण को बासा निनाक निनाक निनाक
नेर निनाक निनाक निनाक निनाक निनाक निनाक
निनाक निनाक निनाक निनाक निनाक निनाक
अपनी गण को अपनी निनाक निनाक निनाक निनाक
उर निनाक निनाक निनाक निनाक निनाक निनाक
निनाक निनाक निनाक निनाक निनाक निनाक निनाक

फर्द अहकाम

2021/244

सहायक कलक्टर जमीन विभाग चम्पारण

सरकार

बनाम

जोरधन

संख्या/वर्ष

89/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

तथा कृषि सुधार के लिए ही फार्म धारक
 कानून तथा सम्पूर्ण भूमि की आबादी जन
 वरी से मुफ्त करते की सेवा से निष्पन्न
 सामग्री डाली गई है ऐसी स्थिति में निम्न
 अप्रतीक डाटा खतेदारी अधिकारों के
 विपरीत कार्य नहीं किया जा रहा है ऐसी
 स्थिति में भूमिधारी के अधिकारों पर किसी
 भी तरह का कुमायदात नहीं हो रहा है
 और न ही वास्तविकी अधिनियम 1955
 की धारा 177 के विरुद्ध कोई कार्य
 शीर्ष पर किया जा रहा है अतः भूमि का
 न तो हस्तगत हुआ है, न ही विक्रय
 हुआ है किना विक्रय आवासीय व्यक्तियों
 कायदा से प्रवृत्त है उपरोक्त भूमि को
 सिविल चक्र घोषित किया जाना राजस्व
 खते में इसे किया जाता है एवं उक्त
 खतेदारी भूमि से केवल किया जाता
 है तो अप्रतीक अपते अधिकारों से
 प्रभावित हो जायेंगे। अप्रतीक की
 प्राप्ति का वास्तविक रूप मात्र उपरोक्त
 वि०

2021/244

फर्द अहकाम

न्यायालय न्याय न्याय न्याय न्याय

बनाम गोरख

मुकदमा संख्या/वर्ष : 89 / 2021

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>वृत्ति वृत्ति की है यदि अप्रधीगण को अपनी खेतीवासी वृत्ति को खत हस्तगत या विरासती हकसग वाले से मध्यम या पाबंद किया जाता है तो अप्रधीगण को अप्रधीगण प्रति होगी जिसकी प्रति देती भी रूप से संभव नहीं होगी अतः प्रथी को प्रथी पर मध्यम खत खालि करवाया जावे ।</p> <p>अप्रधीगण को (जिसे दत्त पर अप्रधीगण व प्रथी को अन्तर्गत मध्यम क्रमांक 8-11-थ व प्रथी पर अप्रधीगण जिसे खालि पर कदम सुनी गयी। पर वृत्ति व प्रथी से प्रथी हस्तगत को प्रथी को प्रथी व अप्रधीगण के द्वारा उक्त प्रथी पर की गयी कदम पर मध्यम वाले के पश्चात उक्त आदेश क्र. सं. 550, 551, 552, 553, 556, 557, 559, 560, 567, 2125, 2141</p> <p>मिथ जग लेगा तहसील लेगा जिसे बनपुर के अप्रधीगण जिसे उक्त</p>

सहायक जज का कार्यालय

सरकार बनाम गोरख

संख्या/वर्ष

81/2021

देनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

नोट होने के फलस्वरूप एवं अप्रधीगत) द्वारा कर्षण में जनक के कर्णित तप्यो के दोहराये जाने के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा दिनांक 8.11.21 को जारी किया आदेश को निरस्त किया जाता है तथा उक्त वादगत भूमि का अप्रधीगत को विभाजन एवं संपत्तिगत बंटाये जाने की इच्छा होने पर अप्रधीगत को जरूरी आधारी निपेद्या जासे प्राकृत किया जाता है एवं उक्त वादगत भूमि का वाद के निर्णय तक सीधे की पथा स्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फासल खुसाए होकर मूल वाद के माध्य समझीला हो।

26

सहायक जज का कार्यालय